फर्द–अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी

मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय–नं.27, डवलप इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, गुर्डन्डी, चैन्नई 600032,क्षेत्रीय कार्यालय कृष्णा टॉवर, 3 फ्लोर,आदेश नगर,नसीराबाद रोड़,अजमेर जरिये प्राधिकृत अधिकारी चित्राशं राजोरिया पुत्र मिमल राजोरिया

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री इन्द्रसिंह,निवासी–महाजनों का मौहल्ला ग्राम अलाय मरूधरा ग्रामीण बैंक के पास,,नागौर एवं पट्टा नं0–34,ग्राम अलाय तहसील व जिला नागौर
2. श्री बागसिंह निवासी–महाजनों का मौहल्ला,ग्राम अलाय,मरूधरा ग्रामीण बैंक के पास,नागौर एवं पट्टा नं034 अलाय तहसील एवं जिला नागौर
3. श्रीमती सुमन निवासी–महाजनों का मौहल्ला,ग्राम अलाय,मरूधरा ग्रामीण बैंक के पास,नागौर एवं पट्टा नं034 ग्राम अलाय तहसील एवं जिला नागौर

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 **संख्या–** 163 **सन्** 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04/11/25	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में ऋण के बदले रहन रखी गई सम्पत्ति में पट्टा नं034,ग्राम अलाय तह0 एवं जिला नागौर में ईन्द्रसिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पति हेतु पुलिस इमदाद चाही गई हैं। प्रार्थना–पत्र के संलग्न सम्पत्ति दस्तावेज में पट्टा संख्या 34 बागसिंह पुत्र हेमसिंह के नाम जारी हुआ हैं.इसलिए प्रार्थना–पत्र में अंकित सम्पति इन्दसिंह के आधिपत्य की नहीं होने से इस सम्पति के संबंध में किसी प्रकार का इस प्रार्थना–पत्र पर आदेश जारी किया उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रकरण प्रार्थी का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (अरूण कुमार पुरोहित) **जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट,** नागौर जिला मजिस्ट्रेट नागौर	